न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री तनय दोशी निवासी C / 401, कैलाश टावर, R.N. नारकार मार्ग घाटकोपर (ईस्ट) मुम्बई पिनकोड – 400075 **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 103 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाइन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के पत्रांक / सू0अ0 / 2024 / 22 दिनांक 27.11.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(।)(।।) के तहत उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ को अन्तरण की गई। उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ द्वारा वांछित सूचना के संबंध में तहसीलदार कुम्भलगढ को पत्र जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ से जरिये पत्र क्रमांकः सू.का.अधि. / 2025 / 12 दिनांक 23.01. 2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री तनय दोशी निवासी सी–401, कैलाश टॉवर आर. एन नारकार मार्ग, घाटकोपर (ईस्ट), मुंबई बनाम लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में स्पष्ट / विशिष्टीविहीन एवं प्रश्नात्मक होने से अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 2275–77 दिनांक 31.12.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संबंध में हितबद्ध की सूचना के लिए स्पष्ट विशिष्टीयों के साथ आवेदन करें ताकि सूचना तक पहूँच बनाई जाकर उपलब्ध रिकॉर्ड की तैयार कर चाही गयी सूचना उपलब्ध कराई जा सके। परन्तु अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया गया। अतः उक्त अपील को ड्रोप करावे। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना स्पष्ट / विशिष्टीविहीन एवं प्रश्नात्मक होने से अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में जरिये पत्र क्रमांक / 2275–77 दिनांक 31.12.2024 के द्वारा अवगत कराने व वांछित सूचना स्पष्ट / विशिष्टीविहीन होने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)